भा. कृ. अनु. प. –केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर/Jodhpur (राजस्थान/Rajasthan)-342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2786584(Dir.)/2786485(CAO)/2785981(AO) FAX: 0291 2788706(Dir.)/2786498(PME)

फाइल संख्या: PA/SrAO/Misc./2021-22 / 410 Date –06.12.2021

8 DEC 2021

कार्यालय परिपत्र

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के OM. No. F.6/14/2020-PPD दिनांक 11.06.2021 के अनुसार Gem Portal से बाहर कोई भी सामान खरीदने के लिए GEMAR&PTS ID (Gem Availability Report and past Transaction Summary) लगानी होगी | जिसके लिए इन्टरनेट का नहीं चलना या फिर Gem Portal का नहीं चलना दोनों ही कारण अमान्य होंगे | अतिआवश्यक खरीद Gem Portal से बाहर खरीदने से पहले वित्त विभाग व सक्षम अधिकारी निदेशक की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा|

Gem Portal पर उपलब्ध सामान अनिवार्यत: रूप से Gem Portal से खरीदना है | या फिर सामान का indentor Gem पर उपलब्ध सामान के बारे में बताये कि सामान के Specification या तो मेल नहीं खाते है या फिर इससे इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा | जो सामान Gem Portal पर उपलब्ध नहीं है, उसके लिए Gem Portal पर उपलब्ध Custom Bid विकल्प का प्रयोग भी किया जा सकता है |

सभी प्रकार की सर्विस/उत्पाद Gem Portal के माध्यम से ही अनिवार्यत: किया जाये (केवल इमरजेंसी खरीद को छोड़कर)| Gem Portal के माध्यम से सभी प्रकार की निविदा/बिड, निविदा प्रारंभ होने की तारीख से के कम से कम 03 महीने पहले से ही कार्यवाही की जाये ताकि खरीददारी समय पर हो सके |

अत: इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:

1. सभी सामान खरीदने से पहले Gem Portal पर उपलब्धता देखना अनिवार्य होगा | अगर Gem Portal पर सामान उपलब्ध नहीं है तो उस केस में GEMAR&PTS ID (Gem Availability Report and past Transaction Summary) लगानी अनिवार्य होगी |
2. अतिआवश्यक खरीद Gem Portal से बाहर खरीदने से पहले वित्त विभाग व सक्षम अधिकारी निदेशक की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा | जिसके लिए सम्बन्धित Indentor को उचित कारण और स्पष्टीकरण देना होगा |
3. Gem Portal/CPP Portal के माध्यम से सभी प्रकार की निविदा चाहे कोई भी उत्पाद/माल(Goods) हो, ICAR-Cazri मुख्यालय के लिए भंडार विभाग (Admn-4) तथा सेवा सम्बन्धी निविदा प्रशासन पंचम (Admn.V) के द्वारा ही की जाएगी |
4. ICAR endorsement F.No. FIN/22/1/2016-CDN (A&A) dated 30th Sep. 2021 द्वारा जारी निर्देश लागु होंगे | इस परिपत्र के निर्देश (purchase of goods without quotation) जब सामान जेम पर उपलब्ध नहीं है तो ही लागु होंगे|
5. सभी प्रकार के CAPITAL ITEM केवल भंडार विभाग दवारा खरीदे जायेंगे |

Division/KVK/RRS के प्रमुखों को GeM पोर्टल पर Buyer/Consignee के रूप में नामांकित किया जा सकता है, ताकि उनकी आवश्यकता के अनुसार सामान ख़रीदा जा सके |

7. GFR-2017 और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे |

8. कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा |

यह आदेश निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किया जा रहा है |

6.12.2021

(इन्द्रराज मीना)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-II

वितरण:

1. All Heads of Division (I, II, III, IV, V &VI) with request to circulate the same to all officers/officials of respective Divisions
2. CFAO/FAO/AFAO
3. AAOs (Admn. I, II, III, IV, V)
4. All Incharge Regional Station/KVKs (Pali/Jaisalmer/Bikaner/Bhuj/Leh)
5. Incharge, AKMU for uploading the circular on website/intranet
6. PS to Director/PS to Sr.AO, ICAR-CAZRI, Jodhpur
7. Notice Board

Upload it on website.
09/12/2021